FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :— जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी:—
अब्दुल सलाम पुत्र नजीर जी,
जाति—मुसलमान, निवास—रोहट,
जिला—पाली (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. मृत केवलराम पुत्र लच्छीराम जी, जाति—पटेल, निवासी—निम्बली पटेलान् के विधिक वारिस :—
   1/1. दलाराम पुत्र केवलराम, जाति—पटेल निवासी—निम्बली पटेलान् तहसील—रोहट, जिला—पाली
2. ग्राम पंचायत रोहट जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी— 22/2020

जीसीएमएस नम्बर— 2020/00189

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/20	प्रार्थी की और से उनके अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत रोहट, तहसील रोहट द्वारा संकल्प संख्या 7 दिनांक 06.11.1964 (पट्टा पंजीयन दिनांक 20.12.2019 में वर्णित तथाकथित संकल्प संख्या 03 दिनांक 15.10.1964) की पालना में मिसल संख्या 224/1963—64 में पारित तथा उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1/1 के पिता के पक्ष में जारी पट्टा संख्या—45 दिनांक 06.12.1964 को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो एवं ग्राम पंचायत से मूल रेकर्ड तलब होकर पत्रावली दिनांक 28/9/20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	988—990 17/9/20
28/9/20	कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 11/11/20 को पेश हो। पुनश्च: प्रार्थी ने उपस्थित होकर निगरानी को जरिये विड्रोल खारिज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी में आपस में राजीनामा हो चुका है, इस कारण वे निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। प्रा. पत्र संलग्न मिसल हो। पत्रावली [illegible] न्यायालय के नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	अब्दुलसलाम Identified [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:33:30 IST
Reason: SelfAttested